802

बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति
समाज कल्याण विभाग

मार्गदर्शिका

संचिका संख्या-05/रा0बा0सं0स0(CNCP)-01/2015-अंश-2- 623 पटना,दिनांक- 02.07.2019

ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से परवरिश योजना के लाभार्थियों को DBT से भुगतान की मार्गदर्शिका

राज्य सरकार द्वारा अनाथ, बेसहारा एवं दुःसाध्य रोगों से पीडित बच्चों तथा इन दुःसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के बेहतर पालन-पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित परवरिश योजना के सुचारू एवं ससमय संचालन के लिए पूर्व की व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यालय के अंतर्गत DBT Cell द्वारा विकसित एवं संचालित ई-सुविधा पोर्टल पर इस योजना के लाभुकों की विवरणी विहित प्रपत्र में स्वीकृति के उपरांत जिला स्तर से संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

ई-सुविधा पोर्टल के अंतर्गत योजनाओं के लिए Beneficiary Managoment System विकसित किया गया है, जिस पर स्वीकृत किये गये लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि लाभार्थियों को DBT के माध्यम से भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

ई-सुविधा पर इस योजना के लाभुकों की विवरणी उनके बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0 कोड के साथ संधारित की जाएगी तथा लाभुकों की सूची सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक कर उन्हें भुगतान हेतु अनुमोदित किया जायेगा। विदित हो इस योजना के लिए वार्षिक आवंटन/मांग के आलोक में जिलावार राशि के लिए limit निर्धारित किया जायेगा जिससे अधिक की राशि किसी भी परिस्थिति में जिला को देय नहीं होगी। Limit का निर्धारण तथा उसे बढ़ाने/घटाने के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति सक्षम होगा। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाईल तैयार की जाएगी, जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट टू होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक के द्वारा विहित राशि लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जायेगा। ई-सुविधा पोर्टल पर जिला के स्तर से की गई लाभुकों की इंट्री में आवश्यक रूप से उसकी स्वीकृति से संबंधित आदेश को पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है।

लाभुकों की सूची को सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु स्वीकृत माना जायेगा। भुगतान की प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो लेगें कि पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने/डाटा के गलत होने की आशंका होने पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को revert/deletion का अधिकार होगा। Revert/deletion करते हुए सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई इसका कारण भी स्पष्ट करेंगे।

राशि की उपलब्धता के आलोक में ready for payment फाइल पर निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी और लाभार्थियों के खाता में सीधे भुगतान (DBT) किया जायेगा। DBT हो जाने के उपरांत ready for payment फाइल वस्तुतः Paid फाईल बन जायेगी जिसकी hardcopy को प्रत्येक जिला में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

"सक्षम" कार्यालय अंतर्गत गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही Hardcopy में सारांश (summary) को अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अभिलेखित कर सुरक्षित रखेगी।

1. परवरिश हेतु डी0बी0टी0 की प्रक्रिया :-

1.1 परवरिश योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरांत सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री की जायेगी।

1.2 स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देखकर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि बच्चे का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में सही-सही नाम उसका बैंक खाता और आई0एफ0एस0 कोड है या नहीं और उसका नाम बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक की स्कैन कॉपी भी ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

1.3 पूर्व में प्राप्त आवेदनों के इन्ट्री के दौरान सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि लाभार्थी को राशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अथवा राशि का भुगतान किया जाना किस माह से लंबित है।

2. MIS एवं अनुश्रवण-

2.1 DBT कोषांग द्वारा ई-सुविधा प्रणाली संचालित की जाती रहेगी और लाभार्थी एवं सर्वसाधारण को नियमानुसार विभिन्न माध्यमों यथा website, call centre, IVRS आदि से अनुमान्य सूचना प्रदान करेगी। यह कार्य किसी agency को outsource कर भी किया जा सकेगा अथवा बैंक से भी यह सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

2.2 भुगतान संबंधी किसी त्रुटि अथवा पोर्टल में त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण यदि गलत भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई की होगी। पूरे मामले का विधिवत अनुश्रवण करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जिम्मेवारी "सक्षम" अंतर्गत स्थापित DBT कोषांग में पदस्थापित तकनीकी सहायक की होगी।

2.3 ई-सुविधा पोर्टल पर लाभुकों के डाटा संधारण एवं पेमेंट के फाईल के निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया की अहम भूमिका है। इसके आलोक में DBT Cell की जिम्मेवारी होगी कि पूरा database शुद्ध और tamper free रहे तथा software में भी कोई bug न रहे। इसके लिए नियमित रूप से सघन जांच की जाएगी और system/software में आवश्यकतानुसार सुधार किया जायेगा। साथ ही इसके लिए सभी आवश्यक प्रमाणक यथा security audit certificate आदि को प्राप्त करना तथा उसे अद्यतन बनाये रखना भी अनिवार्य होगा।

(राज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

(80)

ज्ञापांक-05/रा0बा0सं0स0(CNCP)-01/2015-अंश-2- 623 पटना, दिनांक- 02.07.2019

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पदाधिकरियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, साक्षम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(राज कुमार) IAS
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।